सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 346/21 **दिनांक- 23 जुलाई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-तरवां

जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.07.2021 को 1. सुभाष यादव पुत्र स्व0 रामबली यादव 2. हरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामबली यादव 3. आकाश पुत्र स्व0 चन्द्रदेव यादव 4. सुक्खु यादव पुत्र पंचम यादव 5. प्रभु यादव पुत्र संकठा यादव 6. भानू यादव पुत्र संकठा यादव 7. दीपक यादव पुत्र सुक्खू यादव 8. विनोद यादव पुत्र पंचम यादव समस्त निवासीगण ग्राम कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा एक राय होकर व लाठी डण्डा राड व फावड़ा से लैश होकर गाली गुप्ता देते हुए जमीन को कब्जा करने आये लोगो को श्यामा गिरी पुत्र सत्यदेव गिरी द्वारा गाली देने व जमीन कब्जा करने से मना करने पर विनोद यादव उपरोक्त द्वारा जान मारने की नियत से हमला कर देना जिससे फावड़ा उसके ललाट व नाक पर लगा जिससे श्यामा उपरोक्त गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर बेहोश हो गये तथा उसको बचाने आये ओमप्रकाश गिरी पुत्र सुखदेव गिरी , सुनील गिरी पुत्र श्यामा गिरी को उक्त लोगो द्वारा मार-पीट कर घायल कर दिया गया। इस पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/ईनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी विषयक अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन उ0नि0 रमेश कुमार पाण्डेय ,उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह का0 बैजनाथ निषाद , का0 रमेश यादव द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु कस्बा खरिहानी में मौजूद थे कि तभी मुखबिर ने आकर बताया कि मु0अ0सं0 104/21 धारा147/148/323/504/506/307/325/326/34 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त विनोद यादव पुत्र पंचम यादव निवासी कबूतरा थाना तरवां आजमगढ़ इस समय अपने घर के बगल बने डेरा (कटरैन से छाया) में मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराहियान के साथ खरिहानी बाजार से मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुचे कि तब तक कटरैन में बैठे व्यक्ति को पुलिस बल के आने की भनक लग गयी और वह कटरैन से निकलकर खेत की तरफ भागने लगा कि पुलिस बल द्वारा दौडाकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 9.00 बजे चतुरगंज बाज़ार बेसो नदी पुल के पास गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम विनोद यादव पुत्र पंचम यादव निवासी कबूतरा थाना तरवां आजमगढ़ बताया । अभियुक्त से अपराध मे प्रयुक्त फावडा के संबंध में

पूछने पर बताया कि उक्त फावड़ा कटरैन में तख्ते के नीचे है। अभियुक्त की निशादेही पर अपराध में प्रयुक्त फावडा को अभियुक्त के घर के बगल में बने डेरा (कटरैन छाया हुआ) में तख्ते के नीचे से बरामद किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 104/2021 धारा147/148/323/504/506/307/325/326/34 भा0द0वि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

विनोद यादव पुत्र पंचम यादव निवासी कबूतरा थाना तरवां आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद फावडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 रमेश कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना तरवां जनपद आजमगढ।

थाना- जीयनपुर

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.08.2020 को श्री परमहंस पुत्र मुनेसर मौर्य सा0 छीडी जमीन छिडी थाना जीयनपुर आजमगढ ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि प्रतिवादी द्वारा मेरी सहन की जमीन मे खुटा गाडकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 241/20 धारा 511 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमे विवेचना से धारा- 447/115/327/506/511 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया,भूमाफिया की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत उ0नि0 दिनेश प्रसाद मय हमराह का0 अनिल चौधरी,का0 अजीत पटेल के साथ वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली मु0अ0सं0 241/2020 धारा 447/115/327/506/511 भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पकवा इनार चुनहवाँ पर सब्जी की दुकान पर मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 मयहराह के चुनहवाँ पहुँचकर उक्त व्यक्ति को समय 20.30 बजे पकड लिया गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम मुकेश मौर्य पुत्र शिवचन्द मौर्य निवासी छीडी जमीन छीडी बताया। अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 241/20 धारा 511/ 447/115/327/506/511 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त

मुकेश मौर्य पुत्र शिवचन्द मौर्य निवासी छीडी जमीन छीडी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 दिनेश प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

2. का0 अनिल चौधरी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

3.का0 अजीत पटेल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज

अपहरण व दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.07.202 **1** को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **सुधीर कुमार सिंह** के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे मु0अ0सं0 149/2021 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. श्रवण कुमार पुत्र पलकधारी राम सा0 ग्राम धरनारबांध थाना जहनागंज जनपद आजमगढ़ **को** दिनांक 22.7.2021 को ताड़ी बाजार चक्रपानपुर से समय करीब 17.15 बजे गिरफ्तार **कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।**

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 149/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

श्रवण कुमार पुत्र पलकधारी राम सा0 ग्राम धरनारबांध थाना जहनागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-उ0नि0 योगेन्द्र कुमार पाल

2-हे0का0 प्रमोद कुमार

3.का0अमीत कुमार

4. म0का0रिचा पाण्डेय

थाना गम्भीरपुर

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर आये अभियुक्त के निशानदेही पर एक अदद कट्टा व 02 अदद जिन्दा कार0 बरामद

दिनांक 18.01.2021 को समय लगभग 18.00 बजे ग्राम अमौड़ा मे मनीष राय अपने चार पहिया वाहन ब्रेजा कार UP50BA7170 से गोसाई की बाजार से घर जाते समय मोटर सायकिल सवार द्वारा मनीष राय की गोली मारकर हत्या कर दिये थे जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर सुरेन्द्र नाथ राय पुत्र पारसनाथ राय ग्राम अमौड़ा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ की तहरीर पर मु.अ.स. 10/21 धारा 147,148,149,506,352,302,34,120बी भादवि व 7 CLA ACT बनाम 1. कृष्णा राय पुत्र गुरुप्रसाद राय उर्फ बेचू राय आदि पंजीकृत किया गया था उक्त घटना के बाद पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा तत्काल अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु कई टीमे बनाई गयी थी तथा घटना मे संलिप्त कई अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त कृष्णा राय पुत्र गुरुप्रसाद राय उर्फ बेचू राय घटना के बाद से ही पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार फरार चल रहा था पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए अभियुक्त कृष्णा राय उपरोक्त दिनांक

12.07.21 मा0 न्यायालय मे आत्म समर्पण किया था मा0 न्यायालय के अनुमति से अभियुक्त कृष्णा राय को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त के निशानदेही पर नहर पुलिया पन्दहा से एक अदद कट्टा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कार0 बरामद किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

कृष्णा राय पुत्र गुरू प्रसाद राय उर्फ बेचू राय निवासी अमौड़ा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

बरामदगी का विवरण

एक अदद कट्टा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कार0 बरामद

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 31 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।